



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277283
CG-DL-E-19102026-277283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5477]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2026/आश्विन 27, 1948

No. 5477]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2026/ASVINA 27, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2026

आयकर

का.आ. 5694(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन् पश्चात् आयकर अधिनियम से संदर्भित है) की धारा 400 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, निर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 393(1) [तालिका: क्रमांक 5] या धारा 393(2) [तालिका: क्रमांक 17] जैसा भी मामला हो के अंतर्गत, व्याज स्वरूप किए गए उस भुगतान पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी महाराजा आईएनआर बांड के धारक व्यक्ति को कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के कर वर्षों के दौरान किया गया हो।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'महाराजा आईएनआर बांड धारक' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा—

(i) कोई निवासी; या

(ii) कोई विदेशी संस्थागत निवेशक, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 210(6) में निर्दिष्ट है।

3. न्यू डेवलपमेंट बैंक उक्त अधिनियम की अनुसूची VII (तालिका: क्रमांक 49) और आयकर नियम 2026 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करेगा।
4. यह अधिसूचना राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 136/2026/ फा. सं. 400/01/2026-आईटी(बी)]

राजेंद्र कुमार मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2026

INCOME-TAX

S.O. 5694(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 400 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby specifies that no deduction of tax shall be made under section 393(1) [Table: Sl.No. 5] or section 393(2) [Table: Sl.No. 17] of the said Act, as the case may be, on payment in the nature of interest, made by the New Development Bank to such person being holder of the Maharajah INR Bonds issued by the New Development Bank during the tax year 2026-27 and subsequent tax years.

2. For the purposes of this notification, the expression 'holder of Maharajah INR Bonds' shall mean —
 - (i) a resident; or
 - (ii) a Foreign Institutional Investor, as referred to in section 210(6) of the said Act.
3. The New Development Bank shall furnish information as required under Schedule VII (Table: Sl.No. 49) to the said Act and the provisions of the Income-tax Rules, 2026.
4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 136/2026/F. No. 400/01/2026-IT(B)]

RAJENDRA KUMAR MEENA, Under Secy.